संख्या-17/2022/1061ई-2/तेरह-2022-1628362

प्रेषक,

राजवीर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक:: 06 जून, 2022**

विषय- मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड, ग्राम-कन्दुनी, तहसील-बिसवां, जनपद सीतापुर द्वारा 400 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की शीरे एवं अनाज पर आधारित डुअल मोड पर मिश्रित आसवनी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-161/दो-प्रा.डी.-249/रेडिको-सीतापुर, दिनांक 11-05-2022 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26-05-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-999ई-2/तेरह-2022-949/2022-1628362**,** दिनांक 27-05-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11-05-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड, ग्राम-कन्दुनी, तहसील-बिसवां, जनपद सीतापुर द्वारा 400 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 1400 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की शीरे एवं अनाज पर आधारित डुअल मोड पर मिश्रित आसवनी, जिसके अन्तर्गत जिसमें ई.एन.ए. एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन करते हुये 800 लाख लीटर पेय मदिरा तथा शेष 600 लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जाएगा:-

(क) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तें तथा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(ग) उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित शर्तें।

(घ) आसवनी/इकाई द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 13-04-2022 के अनुसार ग्रेन आधारित आसवनी लगाने हेतु पी.डी.-33 अनुज्ञापन निर्गत होने के पूर्व इकाई द्वारा भूमि के अकृषक हेतु परिवर्तन आदेश उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(च) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।